न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 123/2021/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 18.10.2021
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट

उनवान

विजय कुमार (नायब सूबेदार) पुत्र स्व0 हजारीलाल निवासी ग्राम लाखेरी पीएस केशोरायपाटन जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेश श्रृंगी अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक–न्याय/2021/9774 दिनांक 4.5.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एव जिला मजि0 बूंदी के यहां उसको स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 89/डीएमपीटीसिटी/केपीटी/मार/2004 को जिले मे दर्ज कर नवीनीकरण किये जाने के संबध मे दिनांक 27.2.2020 को आवेदन पत्र पेश किया गया। जिसके संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 236/2020 धारा 341, 323, 34 भ.द.स. का थाना बोरखेडा मे दर्ज होकर वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को जिले मे दर्ज कर नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नही किये जाने जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जेरअपील आदेश क्रमांक–न्याय/2021/9774 दिनांक 4.5.2021 से निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा आर्म्स ला0 को नवीनीकरण करने की अनुशंसा कर रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अपीलांट लाखेरी का मूल निवासी है तथा वर्तमान मे म0 नं0 26 पैट्रोल पम्प के सामने रायपुरा मे निवास कर रहा है। थानाधिकारी लाखेरी व वृताधिकारी द्वारा अपीलांट के चाल चलन को ठीक होना तथा राजनैतिक गतिविधियों मे शामिल नही होना माना गया अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही होना मानते हुये सम्पूर्ण जांच के बाद अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण किये जाने मे पुलिस अधीक्षक बूदी को कोई आपत्ति नही होना वर्णित करते हुये जांच रिपोर्ट पेश की गई। उक्त रिपोर्ट को जिला मजि0 द्वारा

संभागीय आयुक्त
कोटा

नजरअंदाज कर पुलिस थाना बोरखेडा मे प्रकरण सं0 236/20 धारा 323,341,34 आईपीसी का दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा किये जाने पर आवेदन पत्र को विधि विरूद्ध निरस्त किया गया। उपरोक्त प्रकरण अपीलांट के बहनोई ने रंजिशवश झूठा दर्ज करवाया है जिससे अपीलार्थी का कोई लेना देना नही है। शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है। अपीलार्थी सेवा निवृत फौजी है। अपीलार्थी के वृद्ध माता पिता का सन् 2018 मे अपहरण कर उनकी हत्या करदी गई। हत्या करने वाले गिरोह का सरगना पुलिस गिरफ्त से बाहर है हत्या के केस को लेकर आगे कोई कार्यवाही नही करने की अपीलार्थी को धमकिया मिल रही है। ऐसे मे अपीलांट को सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स हथियार की आवश्यकता रहती है इसलिये आर्म्स ला0 का नवीनीकरण होना आवश्यक है। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आवेदन पत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 4.5.2021 अपास्त किया जावे। तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आर्म्स ला0 नवीनीकरण करने पुनः नम्बर पर लिया जाकर आर्म्स ला0 को नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 4.5.21 अपास्त कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आर्म्स ला0 नवीनीकरण करने, पुनः नम्बर पर लिया जाकर आर्म्स ला0 को नवीनीकरण किये जाने का आदेश जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी को प्रदान करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का अदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र एंव अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश किया गया, ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी द्वारा जेरअपील आदेश कमांक–न्याय/2021/9774 दिनांक 4.5.2021 जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध मुक0 नम्बर 236/2020 धारा 341, 323, 34 भा.द.स. का थाना बोरखेडा पर दर्ज होकर वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन होने से अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को जिले मे दर्ज कर नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नही किये जाने पर अपीलांट द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि उपरोक्त प्रकरण अपीलांट के बहनोई ने रंजिशवश झूठा दर्ज करवाया है जिससे अपीलार्थी का कोई लेना देना नही है। शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है। अपीलार्थी सेवा निवृत फौजी है। अपीलार्थी के वृद्ध माता पिता का सन् 2018 मे अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले गिरोह का सरगना पुलिस गिरफ्त से बाहर है हत्या के केस को लेकर आगे कोई कार्यवाही नही करने की अपीलार्थी को धमकिया मिल रही है। ऐसे मे अपीलार्थी को सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स हथियार की आवश्यकता के मध्यनजर आर्म्स ला0 का नवीनीकरण होना आवश्यक है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पुलिस अधीक्षक बूंदी उपखण्ड अधिकारी लाखेरी की रिपोर्ट के अवलोकन से अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट के

संभागीय आयुक्त

आधार पर उक्त वर्णित प्रकरण के मध्यनजर लाईसेन्स को नवीनीकरण करने की अनुशंसा नही की है। जबकि शस्त्र के दुरूपयोग, आपराधिक प्रवृति तथा लोक सुरक्षा एंव लोकशांति भग करने जैसे अन्य कोई आरोप नही है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि उसके वृद्ध माता पिता का सन् 2018 मे अपहरण कर उनकी हत्या करदी गई। हत्या करने वाले गिरोह का सरगना पुलिस गिरफ्त से बाहर है हत्या के केस को लेकर आगे कोई कार्यवाही नही करने की अपीलार्थी को धमकिया मिल रही है। ऐसे मे अपीलांट को सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स हथियार की आवश्यकता रहती है इसलिये आर्म्स ला0 का नवीनीकरण होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील आदेश पारित किया है जिसे हम उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे न्यायोचित नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 4.5.2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी को निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट मे विवेचित न्यायालय मे जेरकार मुक0 नम्बर 236/2020 धारा 341, 323, 34 भा.द.स. की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त,कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा